



प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने निबू विंसेंट और अन्य के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी और धन शोधन के मामले की चल रही जाँच में 18.10.2025 को सात (7) आरोपियों, वेदास्तो औडैक्स (तंजानियाई नागरिक), मासूम उइके, चिराग दुधात, तारिरो ब्राइटमोर मंगवाना (जिम्बाब्वे नागरिक), रेशमा वाडेकर, मंगेश वाडेकर और निबू विंसेंट के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। यह प्रगति गोवा पुलिस की अपराध शाखा द्वारा लाओस से भारत में 4.325 किलोग्राम कोकीन की तस्करी के संबंध में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई एक व्यापक जाँच के बाद हुआ है।

इससे पहले, 19 अगस्त 2025 को, ईडी ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, गोवा, हरियाणा, झारखंड और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर देशव्यापी तलाशी अभियान चलाया था। इन अभियानों के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य, आपत्तिजनक दस्तावेज़ ज़ब्त किए गए और कई बैंक खातों को फ्रीज़ किया गया, जिनके अपराध की आय (पीओसी) के शोधन से जुड़े होने का संदेह है।

जाँच के दौरान, तारिरो ब्राइटमोर मंगवाना को अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी को सुगम बनाने और मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न अवैध पीओसी के शोधन में केंद्रीय भूमिका निभाने के आरोप में 22.08.2025 को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया। उस पर ड्रग कूरियर के रूप में काम करने वाले भारतीय नागरिकों की यात्रा व्यवस्था में मदद करने और उन्हें वित्तपोषित करने का आरोप पाया गया। इसके अलावा, तारिरो ब्राइटमोर मंगवाना को इन गतिविधियों के लिए मुख्य आरोपी तंजानियाई नागरिक वेदास्तो औडैक्स से कमीशन प्राप्त करते हुए पाया गया।

इसके अलावा, पीएमएलए, 2002 की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार, ईडी ने 18 अक्टूबर 2025 को एक अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया है, जिसकी राशि 45.15 लाख रुपये है। यह आदेश उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल स्थित एक घर की है, जो एक आरोपी श्रीमती रेशमा वाडेकर का है। वाडेकर मार्च 2025 में वियनतियाने से 4.3 किलोग्राम कोकीन भारत लाई थीं और मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में शामिल थीं। ईडी द्वारा अब तक की गई वित्तीय जाँच से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े 88.14 लाख रुपये के पीओसी के सृजन का पता चला है।

ईडी द्वारा की गई जाँच से पता चला है कि आरोपी व्यक्ति के गोल्डन ट्रायंगल, मध्य पूर्व, नेपाल, बांग्लादेश आदि से संचालित अंतरराष्ट्रीय गिरोहों से संबंध हैं और मादक पदार्थों की खरीद व वितरण तथा उससे जुड़े धन शोधन के लिए ज़िम्मेदार नेटवर्क भी हैं, जो इस सिंडिकेट के वैश्विक आयामों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। पीओसी से प्राप्त अतिरिक्त लाभार्थियों, सुविधादाताओं और संपत्तियों की पहचान के लिए आगे की जाँच जारी है। ईडी की जाँच से यह भी पता चला है कि धन के लेन-देन के लिए फर्जी संस्थाओं और बेनामी खातों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन की उत्पत्ति का पता नहीं चल पाया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क का पता लगाने और उनके वित्तीय ढाँचे को ध्वस्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। यह कार्रवाई 'नशा मुक्त भारत अभियान' के व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्य का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य नशा मुक्त भारत बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय अवैध मादक पदार्थों के व्यापार और धन शोधन से उत्पन्न सभी संपत्तियों का पता लगाने, उनकी पहचान करने और उन्हें कुर्क करने के अपने संकल्प पर अडिग है।